कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 213/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 27/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 27.09.2020 को थाना सारनाथ पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मु0अ0सं0 563/2020 धारा 376/511/354/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रोमियो उर्फ रोमी सोनकर उम्र 19 वर्ष पुत्र विजई सोनकर निवासी कपिलधारा कोटवां थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को उसके घर से समय करीब 11.05 बजे दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- रोमियो उर्फ रोमी सोनकर उम्र 19 वर्ष पुत्र विजई सोनकर निवासी कपिलधारा कोटवां थाना सारनाथ जनपद वाराणसी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हर्षमणि तिवारी, का0 4832 अमरजीत कुमार, का0 4217 राजकुमार गौड़ थाना सारनाथ जनपद वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 214/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 27/2020

प्रेस नोट

मुख्तार अंसारी के सहयोगी फरार अपराधी मेराज अहमद का भांजा परवेज अहमद कैण्ट पुलिस द्वारा गिरफ्तार

अन्तर्राज्यीय गैंग आईएस 233(मुन्ना बजरंगी गैंग) के सूचीबद्ध सदस्य, तथा एक अन्य अन्तर्राज्यीय गैंग (आईएस -191) के गैंग लीडर मुख्तार अंसारी के सहयोगी फरार अपराधी मेराज अहमद उर्फ भाई मेराज पुत्र जलालुद्दीन निवासी ग्राम महेन थाना करीमुद्दीनपुर गाजीपुर, हाल पता अशोक विहार थाना जैतपुरा के द्वारा तथ्यों को छिपाकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर विभिन्न थाना क्षेत्रों से कई शस्त्र लाइसेंस बनवा लिए गए थे। इस सम्बन्ध में थाना जैतपुरा तथा थाना कैंट पर अभियोग पंजीकृत है। इसी प्रकरण में दिनांक 26-09-2020 को फरार अपराधी भाई मेराज का सहयोग करने व शरण देने के आरोप में उसके भाई सिराज अहमद को गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में आज दिनांक 27-09-2020 को मेराज के भांजे परवेज अहमद पुत्र इरशाद निवासी महेन थाना करीमुद्दीनपुर हाल पता एस- 17/178 सी , नदेसर थाना कैंट वाराणसी को थाना कैंट पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। परवेज अहमद द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मेराज अहमद के नाते वह भी मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा था तथा मेराज के नाम पर अवैध वसूली व लोगों के मकान कब्जा करने का काम करता था।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त परवेज थाना कैंट का मजारिया हिस्ट्रीशीटर है तथा उसके विरूद्ध जनपद वाराणसी व जौनपुर के अलग-अलग थानों पर विभिन्न अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- परवेज पुत्र इरशाद खान निवासी एस17/178 नदेसर थाना कैण्ट वाराणसी उम्र 42 वर्ष।

परवेज अहमद का ज्ञात आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-07/2004 धारा-323/504/506 भादवि कैण्ट वाराणसी।
2. मु0अ0सं0-059/2005 धारा-323/506 भादवि कैण्ट वाराणसी।
3. मु0अ0सं0-060/2005 धारा-143/366/342/504/506 भादवि कैण्ट वाराणसी।
4. मु0अ0सं0-080/2005 धारा-394 भादवि मिर्जामुराद वाराणसी।
5. मु0अ0सं0-346/2005 धारा-147/323/504/506 भादवि कैण्ट वाराणसी।
6. मु0अ0सं0-089/2006 धारा-110जी द0प्र0सं0 कैण्ट वाराणसी।
7. मु0अ0सं0-0116/2006 धारा-3/4 गुण्डा एक्ट कैण्ट वाराणसी।
8. मु0अ0सं0-0508/2009 धारा-323/504/506 भादवि कैण्ट वाराणसी।
9. मु0अ0सं0-0501/2010 धारा-110जी द0प्र0सं0 कैण्ट वाराणसी।
10. मु0अ0सं0-126/2012 धारा-3/4 गुण्डा एक्ट कैण्ट वाराणसी।

11.मु0अ0सं0-200/2014 धारा-3/5/25 आर्म्स एक्ट जलालपुर जौनपुर।
12.मु0अ0सं0-170/2012 धारा-147/148/149/308/504/426/427 भादवि कैण्ट वाराणसी।
13.मु0अ0सं0-409/2007 धारा-3(1) यू0पी0 गैगस्टर एक्ट कैण्ट वाराणसी।
14.मु0अ0सं0-101/2006 धारा-504/506/427/447 भादवि कैण्ट वाराणसी।
15.मु0अ0सं0-1104/2016 323/504/506 भादवि कैण्ट वाराणसी।
16.मु0अ0सं0-101/2017 धारा-110जी द0प्र0सं0 कैण्ट वाराणसी।
17. NCR संख्या-02/2018 धारा-323/504 भादवि कैण्ट वाराणसी।
18.मु0अ0सं0-0499/2019 धारा-452/354/323/504/506 भादवि कैण्ट वाराणसी।
19.मु0अ0सं0-0141/2019 धारा-323/504/406/506 भादवि कैण्ट वाराणसी।
20.मु0अ0सं0-0734/2020 धारा-419/420/467/468/471/120B भादवि कैण्ट वाराणसी।
21.मु0अ0सं0-0737/2020 धारा-419/420/323/504/467/468/384/ 506/471 भादवि कैण्ट वाराणसी।

उक्त प्रकरण में वाराणसी पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा मेराज अहमद से संबंधित 8 शस्त्र लाइसेंस निलम्बित कर दिए गए हैं तथा 6 शस्त्र ज़ब्त करा लिए गए हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह, वरि0उ0नि0 श्री इन्द्रकान्त मिश्रा, उ0नि0 श्री अशोक कुमार चौकी प्रभारी नदेसर, उ0नि0 श्री दीन दयाल पाण्डेय चौकी प्रभारी कचहरी, का0 रामानन्द यादव, का0 बनवीर सिंह व का0 मनीष श्रीवास्तव थाना कैण्ट वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 215/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 27/2020

प्रेस नोट

ट्रक में लादकर वध हेतु ले जाया जा रहा गोवंश,पशु तस्कर सहित थाना रामनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से 15 राशि गाय, 05 राशि बछड़े व 01 अदद तमन्चा मय कारतूस बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27-09-2020 को थाना रामनगर के उ0नि0 टुन्नू सिंह मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर ढुंढिराज पुलिया के पास से एक बिना नम्बर प्लेट का ट्रक जिसमें तस्करी हेतु पशु ले जाये जा रहे थे, को रोककर एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया तथा एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। ट्रक की तलाशी ली गयी तो उसके अन्दर से 15 राशि गाय, 05 राशि बछड़े (गोवंश) जीवित व 2 राशि बछड़े मृत तथा ट्रक की सीट के नीचे से 01 अदद तमन्चा-12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस-12 बोर बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त कामरान को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपना नाम कामरान पुत्र छोटन शेख उर्फ इब्राहिम निवासी ग्राम मर्चा थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर उम्र 24 वर्ष बताया। हम पांच लोग थे जिनमें बिन्देश्वरी पंण्डित द्वारा जानवरों को ट्रक में लदवाया गया, प्रधान मेरे साथ ट्रक में बैठा था जो आप लोगों के देखकर भाग गया तथा टुनटुन भाई व मुन्ना भाई एक दूसरी गाड़ी से ट्रक के आगे चलकर ट्रक पास कराने में सहयोग कर रहे थे। ट्रक में जो गोवंश लदा है उसे हम चौसा बिहार की तरफ ले जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0162/2020 धारा 3/5A/5B/8 उ0प्र0 गोवध नि0 अधि0 व मु0अ0सं0 0163/2020 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। ।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्तः-

- कामरान पुत्र छोटन शेख उर्फ इब्राहिम निवासी ग्राम मर्चा थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर उम्र 24 वर्ष।

विवरण फरार अभियुक्तगण:-

1. प्रधान निवासी हण्डिया, जनपद इलाहाबाद (प्रयागराज)।

2. बिन्देश्वरी पण्डित निवासी हदरेपुर थाना मुँगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर।

3. टुनटुन भाई निवासी अज्ञात।

4. मुन्ना भाई निवासी अज्ञात।

<u>*विवरण बरामदगीः-*</u>

- 15 राशि गाय व 05 राशि बछड़े (गोवंश) जीवित व 2 राशि बछड़े मृत व एक वाहन संख्या अज्ञात चेचिस नम्बर 426031LRZ019348

<u>*गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-*</u>

- उ0नि0 टुन्नू सिंह, उ0नि0 अरविन्द यादव, हे0का0 बृजकिशोर, का0 सुधीर कुमार व का0 धर्मवीर भारती-थाना रामनगर, वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 216/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 27/2020

प्रेस नोट

दिनांक 26.09.2020 को थाना चौबेपुर के उ0नि0 रविकान्त चौहान मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में मौजूद थे, इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मु0अ0सं0-465/2020 धारा-363/366 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त सूरज डुबकिया चौराहे पर अपहृता के साथ मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता हैं। प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 रविकान्त द्वारा मय हमराह पुलिस बल के डुबकिया चौराह पहुँचकर टैम्पो स्टैण्ड के पास खड़े अभियुक्त उपरोक्त को समय करीब 20.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से अपहृता बरामद हुई। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- सूरज पुत्र बनारसी ग्राम बीकापुर चौबेपुर वाराणसी उम्र करीब 22वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रविकान्त चौहान व म0का0 अनीता सरोज थाना चौबेपुर, वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 217/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 27/2020

प्रेस नोट

थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा गैंगेस्टर के अभियुक्त मनोज शुक्ला के आपराधिक कृत्यो से अर्जित सम्पत्ति से क्रय की गयी 01 अदद मोटर साइकिल कीमत रु0-18,000/- की गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

थाना सिगरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 294/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 का अभियुक्त मनोज शुक्ला पुत्र दयाशंकर शुक्ला निवासी एस-38/109 कोनिया विजयीपुर थाना आदमपुर जनपद वाराणसी, एक शातिर पेशेवर अपराधी है। जिसके द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से अर्जित सम्पत्ति से एक मोटर साइकिल हीरो पैशन संख्याः यूपी-65 बीडी-0083 क्रय की गयी। आज दिनांक 27-09-2020 को प्रभारी निरीक्षक जैतपुरा श्री शशि भूषण राय द्वारा मय हमराह पुलिस बल मोटर साइकिल संख्याः यूपी-65 बीडी-0083 जिसकी कीमत आर0टी0ओ0 वाराणसी के अनुसार रु0-18,000/- निर्धारित की गयी है, को जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा प्राप्त आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जब्तीकरण (कुर्क) की कार्यवाही की गयी। जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा प्रभारी निरीक्षक सिगरा को जब्त सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

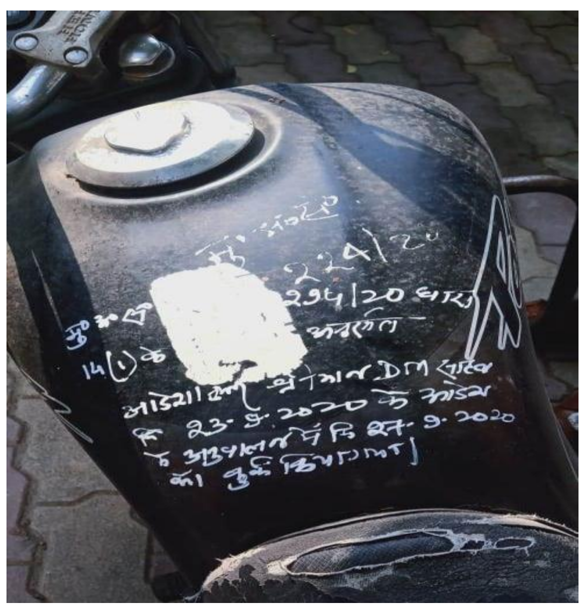

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 218/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 27/2020

प्रेस नोट

थाना बड़ागॉव पुलिस द्वारा गैंगेस्टर के अभियुक्तगण शिवशंकर सेठ उर्फ बाबू सेठ व सोनू सेठ उर्फ छोटू सेठ पुत्रगण रामजी सेठ निवासीगण बड़ागॉव द्वारा आपराधिक कृत्यो से अर्जित सम्पत्ति से शिवशंकर सेठ द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर क्रय की गयी कुल रु0-4,88,11,650.66/- की अचल सम्पत्ति की गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी

थाना बड़ागॉव पर पंजीकृत मु0अ0सं0-149/19 धारा-3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 के अभियुक्तगण शिवशंकर सेठ उर्फ बाबू सेठ व सोनू सेठ उर्फ छोटू सेठ पुत्रगण रामजी सेठ निवासीगण बड़ागॉव थाना बड़ागॉव वाराणसी एक शातिर व पेशेवर अपराधी है। अभियुक्त शिवशंकर सेठ उर्फ बाबू सेठ जनपद वाराणसी स्तर पर पंजीकृत गैंग नं0 D-32/2020 (शराब तस्कर गैंग) का गैंग लीडर है और अपराध ही इसका पेशा है। इसके द्वारा अपराधिक कृत्यों से अनेक प्रकार की सम्पत्ति अपने व अपने परिजनों के नाम से अर्जित की गयी है। इसके अपराधो में शराब तस्करी व हत्या जैसे जघन्य अपराध शामिल है। शिवशंकर सेठ द्वारा अपराधिक कृत्य करते हुए अपनी पत्नी गुड़िया सेठ के नाम से निम्न सम्पत्ति क्रय की गयी- **(1)** आराजी नं0 2241 क्षेत्रफल 0.9650 हे0 बड़ागाँव पर बने एक रिहायसी/कॉम्प्लेक्स जिसकी कीमत अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0 वाराणसी के अनुसार रु0-14901562.14/- (एक करोड़ उन्चास लाख एक हजार पाँच सौ बासठ रुपये चौदह पैसे मात्र) **(2)** आराजी सं0-770 क्षेत्रफल 0.452 हे0 , 772ख क्षेत्रफल 0.006 हे0 व आराजी सं0-773ख 0.006 हे0 जिसकी कीमत अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0 वाराणसी के अनुसार रु0-33910088.52/-(तीन करोड़ उन्तालिस लाख दस हजार अठ्ठासी रूपये व बावन पैसे) निर्धारित की गयी है।

आपराधिक कृत्यो एंव शराब तस्करी से अर्जित अवैध सम्पत्ति से ***अवैध रूप से निर्मित काम्पलेक्स व आर0के0 होटल सहित कुल रु0-4,88,11,650.66/- की अचल सम्पत्ति*** को आज दिनाँक 27.09.2020 को थाना प्रभारी बड़ागॉव मय हमराह पुलिस बल के जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा प्राप्त आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 गैंगेस्टर एक्ट की धारा-14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

शिवशंकर सेठ उर्फ बाबू सेठ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0असं0-91/19 धारा-34/419/420/467/468/471/487/272 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना बड़ागॉव, वाराणसी।
2. मु0असं0-92/19 धारा-419/420/467/468/272 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना बड़ागॉव, वाराणसी।
3. मु0असं0-149/19 धारा-3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना बड़ागॉव, वाराणसी।
4. मु0अ0सं0-625/19 धारा-10/4 वन संरक्षण अधिनियम थाना बड़ागॉव, वाराणसी।
5. मु0अ0सं0-34/18 धारा-419/420 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना अदलहाट, मिर्जापुर।
6. मु0अ0सं0-335/18 धारा-323/504/506 भादवि थाना बड़ागॉव, वाराणसी।

7. मु0अ0सं0-552/18 धारा-10/4 वन संरक्षण अधिनियम थाना बड़ागॉव, वाराणसी।
8. मु0अ0सं0-निल/18 धारा-3/4 गुण्डा अधिनियम थाना बड़ागॉव, वाराणसी।
9. मु0अ0सं0-471/16 धारा-307 भादवि थाना बड़ागॉव, वाराणसी।
10. मु0अ0सं0-178/06 धारा-302 भादवि थाना बड़ागॉव, वाराणसी।
11. मु0अ0सं0-186/06 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना बड़ागॉव, वाराणसी।

<u>*सोनू सेठ आपराधिक इतिहास-*</u>

1. मु0अ0सं0-91/19 धारा-34/419/420/467/468/471/487/272 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना बड़ागॉव, वाराणसी।
2. मु0असं0-149/19 धारा-3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना बड़ागॉव, वाराणसी।
3. मु0अ0सं0-335/18 धारा-323/504/506 भादवि थाना बड़ागॉव, वाराणसी।
4. मु0अ0सं0-624/18 धारा-323/504/506 भादवि थाना बड़ागॉव, वाराणसी।

<u>*पुलिस टीम का विवरणः–*</u>

1. 1. श्री नितेश प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी बड़ागांव वाराणसी
2. 2. श्री जयप्रकाश उपजिलाधिकारी पिण्डरा वाराणसी
3. 3. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना प्रभारी बड़ागांव वाराणसी
4. 4. उ0नि0 श्री सत्यप्रकाश सिंह बीट प्रभारी बड़ागांव वाराणसी
5. 5. उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव थाना बड़ागांव वाराणसी
6. **मय हमराह पुलिस बल**

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 219/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 27/2020

प्रेस नोट

दिनांक 26-09-2020 को थाना शिवपुर के उ0नि0 बनारसी यादव मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/गस्त में हटिया बासुदेवपुर से घमहापुर होते रिंग रोड़ से भगवानपुर की तरफ जा रहे थे कि घमहापुर की ओर जाने वाले कच्चे मार्ग पर बने मढ़ी बाबा मन्दिर में कुछ व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दिये. संदेह होने पर मन्दिर के पास पहुचे कि अचानक 04 व्यक्ति पुलिस बल को देखकर धान के खेतो में भागने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा 02 व्यक्तियों को धान के खेत में पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो उन्होने अपना नाम-पता उमेश राजभर पुत्र छोटे लाल राजभर, दीपक राजभर पुत्र छेदी राजभर व दो फरार व्यक्ति डिम्पल पुत्र छेदी राजभर व भोनू पुत्र ननकू नेता निवासीगण हरिहरपुर थाना शिवपुर वाराणसी बताया। दोनों की तलाशी ली गयी तो उमेश राजभर के पास से 01 अदद कीपैड मोबाइल फोन सैमसंग, 01 अदद वीवो मोबाइल फोन एन्ड्राइड व दोनों के पास से रु0 9000/- नगद बरामद हुआ। मोबाइल व पैसों के बारे में पूछने पर बताया गया कि हम चारो लोगों द्वारा एजेन्सी के पास एक परिवार से मारपीट कर मोबाइल व 09 हजार रुपये छीना गया था, यह वही पैसा व मोबाइल है। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को समय करीब 23.40 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. उमेश राजभर पुत्र छोटेलाल राजभर निवासी हरिहरपुर थाना शिवपुर वाराणसी उम्र लगभग 27 वर्ष।
02. दीपक राजभर पुत्र छोटेलाल राजभर निवासी हरिहरपुर थाना शिवपुर वाराणसी उम्र लगभग 22 वर्ष।

वांछित अभियुक्तगण:-

01. डिम्पल पुत्र छेदी राजभर निवासी हरिहरपुर थाना शिवपुर वाराणसी।
02. भोनू पुत्र ननकू नेता निवासी हरिहरपुर थाना शिवपुर वाराणसी ।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अदद मोबाइल फोन

- 9000 रुपये नगद।

<u>*गिरफ्तार करने वाली टीम-*</u>

1. उ0नि0 श्री बनारसी यादव, का0 सिकन्दर, का0 अखिलेश यादव, का0 अमित कुमार सिंह व का0 अजय प्रजापति थाना शिवपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 220/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 27/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरुरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 27-09-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 58 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *85 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1840 वाहनों का चालान, 36 वाहनों को सीज तथा 77 वाहनों से रु0-61,300/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 27-09-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1416 व्यक्तियों से रु0-85,000/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।